

यूजीसी सर्कुलर...

123 संस्थान नाम से हटाएं 'विश्वविद्यालय'

नई दिल्ली @ पत्रिका. वे सभी उच्च शिक्षण संस्थान जो विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, उन्हें अपने नाम के आगे से 'विश्वविद्यालय' हटाना होगा। दरअसल, यूजीसी ने ऐसे 123 संस्थानों को एक सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि एक महीने में विश्वविद्यालय शब्द हटा लें और 15 दिन में इस बारे में सूचित करें। इसके स्थान पर 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' लिख सकते हैं। सर्कुलर में 3 नवंबर को मिले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी संलग्न किया है। ऐसे 123 संस्थानों की सूची में राजस्थान के आठ संस्थान भी शामिल हैं।